



National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS)

Empowering the meritorious students of economically disadvantaged sections

₹12,000/-

Annual Scholarship is awarded to children enrolled in classes 9th to 12th in government schools



Eligibility & Scheme Features

- For the students whose parental annual income is less than Rs. 3,50,000/-
- Those who have secured a minimum of 55% marks in 7th & 8th class (50% for SC & ST)
- The students must pass both the tests, i.e., Mental Ability Test (MAT) and Scholastic Aptitude Test (SAT) under NMMSS exam with at least 40 % marks in aggregate taken together for these two tests. For the SC/ST students, this cut off is 32% marks
- Selection through NMMSS examination to be conducted by State/UT
- 100% of funds under the scheme are provided by Central Government
- Only the regular students of Government, Government-aided & local body schools are eligible
- Scholarships are disbursed directly in to the bank account of students through Direct Benefit Transfer (DBT)

To appear in Selection Exams, apply on State/UT portal

NMMSS is onboarded on National Scholarship Portal
<https://scholarships.gov.in/>

For more details

Visit : <https://dsel.education.gov.in/nmmss>



शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार



स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
भारत सरकार

राष्ट्रीय साधन - सह - योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएसएस)

के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों
के लिए छात्रवृत्ति

सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में पंजीकृत विद्यार्थियों
की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए

₹12,000/-

की वार्षिक छात्रवृत्ति

आवेदन की पात्रता एवं योजना की विशेषताएं

- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹3,50,000/- से कम हो
- आवेदक ने 7वीं व 8वीं कक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किए हों (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए न्यूनतम 50% अंक)
- छात्रों को एनएमएसएस (NMMSS) परीक्षा के तहत मानसिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test - MAT) और शैक्षिक योग्यता परीक्षा (Scholastic Aptitude Test - SAT) दोनों परीक्षणों में कुल मिलाकर कम से कम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए, यह कट-ऑफ 32% अंक है।
- NMMSS के लिए चयन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से होंगे
- यह योजना शत - प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित - पोषित है
- इस योजना से सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय के स्कूल के नियमित छात्र लाभान्वित होंगे
- छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्तियां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) के माध्यम से सीधे वितरित की जाती हैं

चयन परीक्षा में भाग लेने के लिए राज्यों/केन्द्र
शासित प्रदेशों के पोर्टल पर आवेदन करें

NMMSS राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भी उपलब्ध है
<https://scholarships.gov.in/>

अधिक जानकारी के लिए विजेट करें
Visit : <https://dse1.education.gov.in/nmmss>

